समाहरणालय, सुपौल

(जिला नजारत शाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–7644, दिनांक 05.08.2010 द्वारा जिले में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ताओं/ पदाधिकारियों को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराया जाना है। सुपौल जिला अन्तर्गत बोलेरों/टाटा सूमों/इनोवा/जाईलों/ स्कॉर्पियों/इन्डिगो/सफारी/एस0यू0भी0 वाहन या अन्य चार पहिया वाहन वरीय उप समाहर्त्ताओं/पदाधिकारियों के व्यवहार हेतु भाड़े पर वाहन चालक सहित उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है (सफेद रंग की गाड़ी–2016/2017 मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी) इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी अपने वाहन के सभी कागजात (निबंधन संख्या, बीमा का रसीद, जी0एस0टी0 अद्यतन कर भुगतान प्रमाण पत्र) के साथ दिनांक 21.05.2018 को 03.00 बजे अपराह्न तक अपना निविदा जिला नजारत शाखा, सुपौल में दे सकते है तथा उसी दिन 4:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लीफाफा में देंगे।

तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. वाहन जो व्यवसायिक अन्तर्गत निबंधित हो।
2. वाहन के बीमा का अद्यतन होना चाहिए।
3. वाहन का अद्यतन कर भुगतान होना चाहिए।
4. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
5. कोई भी निविदा निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. निविदादाता को निविदा के साथ मो0 10000.00 (दस हजार) मात्र बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिलाधिकारी, सुपौल के पक्ष में देय हो, संलग्न करना है।

सामान्य शर्तें :–

1. भाड़े पर वाहन 12 महीने के लिए लिया जायेगा।
2. भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव एवं उस पर होने वाले तेल एवं चालक का व्यय वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।
3. भाड़े पर वाहन लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर जिला प्रशासन के द्वारा गठित समिति से वाहन मालिक को वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
4. वाहन मालिक को प्रतिमाह 1500 कि0मी0 का परिचालन करना होगा। महिने में वाहन का 1500 कि0मी0 से अधिक परिचालन होने की स्थिति में ईंधन की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा लागबुक के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी कारणवश वाहन का परिचालन महिने में 1500 कि0मी0 से कम रहता है तो वह व्ययगत नहीं होगा बल्कि वाहन मालिक को अगले माह परिचालन कराना होगा।
5. भाड़े पर वाहन की निविदा ईंधन सहित एवं ईंधन रहित प्रति दिन एवं प्रति माह का दर अलग–अलग देना होगा तथा ए0सी0 एवं नन ए0सी0 गाड़ी की निविदा का दर भी अलग–अलग देना होगा।
6. वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन/संबंधित कार्यालय के अधीन रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/एजेन्सी का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस माह का भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा और जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
7. उपर्युक्त शर्तो के अनुरूप मासिक न्यूनतम Bid देने वाले के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. सरकारी कार्यालय में वाहन आपूर्ति किये जाने संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र एवं स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन/स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
11. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती की जायेगी।
12. निविदा दिनांक 21.05.2018 के 03.00 बजे तक जिला नजारत शाखा में प्राप्त किया जायगा।
13. इसे जिले के वेबसाईट www.supaul.bih.nic.inएवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार के वेबसाईट www.prdbihar.gov.inपर देखा जा सकता है। पर देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी, सुपौल 6/5/18

जिलाधिकारी
सुपौल